छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 556/2007</u>

1. **श्री विनोद चावड़ा, – अपीलार्थी**
जिमोन् बम्हशाल, एम0आई0जी0-706,
पदमनाभपुर, दुर्ग
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. **जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी**
कार्यालय संचालक,
भौमिकी एवं खनिकर्म,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 अक्टूबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विनोद चावडा ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.03.2006 को आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर संचालनालय द्वारा जो उत्तर अपीलार्थी को दिया गया उससे असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 16.03.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.05.2007 के द्वारा उक्त अपील अमान्य की गई, अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 12.06.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण के संबंध में विभाग द्वारा तैयार प्रतिवेदनों की मांग की गई थी, जिसे बौद्धिक संपदा और कापीराइटर को आधार बताते हुए जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अमान्य किया है । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 संसद द्वारा पारित अधिनियम है और इसके अंतर्गत उन्हें कम शुल्क पर वे जानकारी प्राप्त करने के अधिकार है और विभाग उन्हें बाध्य कर रहा है कि

विभागीय नियमों के अन्तर्गत जो अधिक शुल्क निर्धारित की गई है, उसके आधार पर जानकारी प्राप्त करे । इस संबंध में प्रति अपीलार्थी की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि उक्त प्रतिवेदन तैयार करने

में शासन का काफी पैसा व्यय होता है और यह जानकारी कार्यालय में उपलब्ध रहती है तथा उनके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार उक्त जानकारी का शासन के निर्देशों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान उपरान्त पुस्तकालय में अध्ययन भी किया जा सकता है तथा राशि 10,000/- प्रति हे0 के मान से आवेदक को उपलब्ध कराया जा सकता है । अत: इस संबंध में विभाग द्वारा बनाये गये नियम सभी पर लागू है और अन्य कोई आवेदकगण इन नियमों के अनुसार ही प्रतिवेदन का अध्ययन करता है अथवा उसकी प्रति प्राप्त करता है । चूंकि इस प्रकार से शासन का काफी पैसा इस जानकारी को इकत्रित करने में और तैयार करने में लगा है, अत: इस तरह से शासन की एक बौद्धिक संपदा ही कहलायेगी और शासन द्वारा सभी के लिए समान नियम बनाये गये हैं । यदि आवेदक को कम शुल्क पर यह जानकारी प्रदाय करा दी जाती है तो अन्य व्यक्ति जिन्हें अधिक शुल्क पर यह जानकारी पहले दी गई है, उनकी तुलना में उन प्रतियोगी व्यक्तियों को नुकसान भी हो सकता है तथा इसके साथ-साथ वर्तमान अपीलार्थी को यह जानकारी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कम शुल्क पर देने में किसी प्रकार का लोकहित भी नहीं है । अत: उपरोक्त स्थिति में प्रति अपीलार्थी का तर्क मान्य करने योग्य है और अधिनियम की धारा-8(घ) के अन्तर्गत जो जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आवेदन और प्रथम अपील क्रमश: निरस्त की है, वह अपने स्थान पर सही है, उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आवेदक चाहे तो शासन के नियमों के अनुसार ही यह जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

3/ अत: उक्त अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त